संख्या– /XXVIII-3-2020-04/2008 T.C

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–3 देहरादून : दिनांक04 मई, 2020

विषय– आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना को प्रभावी बनाये जाने हेतु उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सोसाईटी, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, कार्यकारिणी समिति, गवर्निंग बॉडी की व्यवस्था हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–रा0स्वा0अभि0/2019–20/जी0ओ0/1842, दिनांक 01.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी बनाये जाने हेतु योजना में कतिपय संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

2. उक्त योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में समस्त परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किये जाने हेतु पूर्व में जारी आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–688/XXVIII–4–2018–04/2008, दिनांक 14.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–870/XXVIII–4–2018–04/2008, दिनांक 06.12.2018 निर्गत किये गये हैं। उक्त योजना के कियान्वयन अवधि में प्राप्त अनुभवों, विभागीय आवश्यकता एवं वर्तमान परिदृश्य की व्यवहारिकता तथा राज्य सरकार द्वारा आम–जनमानस को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत उक्त निर्गत शासनोदशों में निम्नवत संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (State Health Agency) का नाम परिवर्तित कर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Health Authority) किया जाता है।
2. योजना के अंतर्गत कॉर्ड बनाने, चिकित्सालय सम्बन्धी सूचनाओं/पृच्छायों हेतु, लाभार्थियों के चिकित्सालयों में भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक 100 प्रतिशत ट्रेकिंग करने हेतु राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) में 24 X 7 के आधार पर 10 सीटर कॉल सेंटर की स्थापना।

3. आयुष्मान भारत उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सोसाईटी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, कार्यकारिणी समिति, गवर्निंग बॉडी की व्यवस्था एवं कार्यों का अधिकार एवं दायित्वः–

कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष भी होंगे, जिनके दिशा–निर्देशन/मार्ग–दर्शन में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, जिस हेतु उनकी सेवा–शर्तो के सम्बन्ध में एक अनुबंध भी किया जायेगा। कार्यकारिणी के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त)

Scanned by CamScanner

अधिकारी हैं अतः प्राधिकरण के समस्त वित्तीय अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होंगें, जोकि विभागाध्यक्ष भी है। शासनादेश दिनांक 14.09.2018 में सोसाईटी की गवर्निंग बॉडी तथा कार्यकारिणी समिति के कार्यो के सम्बन्ध में पृथक से कोई प्राविधान/उल्लेख नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में सोसाईटी की गवर्निंग बॉडी तथा कार्यकारिणी समिति के कार्य, अधिकार एवं दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किये जा रहें हैं :–

गवर्निंग बॉडी (शासकीय सभा) के कार्य, अधिकार एवं दायित्व :–

1. गवर्निंग बॉडी (शासकीय सभा) शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करेगी।
2. गवर्निंग बॉडी अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के लिए समग्र दिशा–निर्देश व मार्ग–दर्शन प्रदान करेगी।
3. गवर्निंग बॉडी योजना एवं उसके क्रियान्वयन की समय–समय पर समीक्षा/ अनुश्रवण का कार्य करेगी।
4. गवर्निंग बॉडी योजना के वार्षिक बजट पर अनुमोदन प्रदान करेगी।
5. गवर्निंग बॉडी प्रदेश में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (UHC) के उदेश्य को प्राप्त करने हेतु नीति निर्धारण करने एवं उसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी।
6. योजना के संचालन से सम्बन्धित यदि कोई अधिकार/शक्तियाँ वर्णित नहीं है अथवा कोई विशेष समस्या/परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में गवर्निंग बॉडी दिशा–निर्देश/अन्तिम निर्णय जारी करेगी।
7. गवर्निंग बॉडी की बैठक के आयोजन हेतु कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता आवश्यक है।
8. गवर्निंग बॉडी की बैठक कम से कम 06 माह में एक बार आयोजित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से वर्ष में दो बार से अधिक भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

कार्यकारिणी समिति के कार्य, अधिकार एवं दायित्व :–

1. कार्यकारिणी समिति आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY), अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (AAUY) तथा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के क्रियान्वयन हेतु समस्त व्यवस्थाएं करेगी।
2. प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना आयुष्मान भारत (AB-PM-JAY), अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (AAUY) तथा SGHS के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेगी।
3. कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की गाईडलाईन्स तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अधीन योजना के क्रियान्वयन हेतु नीति/प्रक्रिया संबंधित निर्णय लिए जायेगें।
4. कार्यकारिणी समिति योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी पहलुओं, कार्यों एवं गतिविधियों का नियमित रूप से अनुश्रवण करेगीं।
5. कार्यकारिणी समिति द्वारा NHA गाईडलाईन्स में स्थानीय परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार यथा आवश्यक संशोधन किए जा सकेगें। इस उद्देश्य हेतु NHA से आवश्यक परामर्श/अनुमति प्राप्त की जाएगी।

Scanned by CamScanner

6. कार्यकारिणी समिति विशेष मामलों में लाभार्थी/रोगी के हित में योजना के अन्तर्गत प्रक्रिया संबंधित किसी विषय में छूट प्रदान करने का निर्णय ले सकेगी।
7. कार्यकारिणी समिति द्वारा सोसाइटी/SHA का वार्षिक बजट स्वीकृत किया जायेगा।
8. कार्यकारिणी समिति शासन द्वारा स्वीकृत कार्मिकों की यथा आवश्यकता उपनल/अनुबंध/आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से सेवायें प्राप्त कर सकेगी।
9. कार्यकारिणी समिति शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्मिकों की भर्ती हेतु यथा आवश्यकता सेवानिवृत्त कर्मियों को CSR के प्राविधानों तथा वित्त विभाग के शासनादेशों के अनुसार पुनर्नियुक्ति प्रदान कर सकेगी।
10. कार्यकारिणी समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सेवाओं को यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।
11. कार्यकारिणी समिति द्वारा आवश्यकतानुसार आमंत्रित/चयनित संस्था द्वारा योजना के तृतीय पक्ष में मूल्यांकन (Third Party Evaluation) हेतु कार्यवाही की जायेगी।
12. कार्यकारिणी समिति कार्मिकों की कार्य–कुशलता बढ़ाने तथा योजना को सम्पूर्ण देश में आदर्श क्रियान्वयन स्तर पर लाने हेतु कार्य–हित में यथा आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु निर्णय ले सकेगी।
13. योजना के अन्तर्गत कार्य–हित में कार्यकारिणी समिति द्वारा SHA में प्रकोष्ठों का सृजन, समाप्ति एवं उनमें संशोधन का निर्णय लिया जा सकेगा।
14. कार्यकारिणी समिति द्वारा योजना से संबंधित सभी कार्यों एवं गतिविधियों हेतु Standard Operating Procedures (SOP) तैयार कर निर्गत की जायेगीं।
15. कार्यकारिणी समिति द्वारा योजना से संबंधित विभिन्न अनुबंधों के प्रारूप को अनुमोदित करेगी।
16. कार्यकारिणी समिति द्वारा इन्टिग्रिटी (Integrity) के सर्वोच्च मानक स्थापित करने हेतु गाईडलाईन्स तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. कार्यकारिणी समिति द्वारा राजकीय चिकित्सालयों को SHA द्वारा प्रदान की जाने वाली दावों (क्लेम्स) की धनराशि एवं राजकीय चिकित्सालयों को इंसेटिव हेतु दिये जाने वाली धनराशि के उपयोग हेतु गाईडलाईन्स निर्गत की जायेगीं तथा इन गाईडलाईन्स के अनुसार कार्यवाही किए जाने का अनुश्रवण किया जायेगा।
18. कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह नियत तिथि पर आयोजित की जायेगीं। यथा आवश्यकता अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी माह में एक से अधिक बैठक आयोजित की जा सकती है।
19. कार्यकारिणी समिति की बैठक में न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता होगी।
20. कार्यकारिणी समिति की बैठक में यथा आवश्यकता किसी अधिकारी/विशेषज्ञ को अध्यक्ष की अनुमति से प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
21. कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाये जाने में विलम्ब होने की दशा में कार्यक्रमों में व्यवधान ना हो, कार्यकारिणी समिति के सभी अधिकार अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति

Scanned by CamScanner

में निहित होगें, जिनका कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जानी होगी।

4 शासनादेश दिनांक 14.09.2018 में उल्लिखित पदों का संशोधित विवरण (पदों के नाम, अर्हता, संख्या, भर्ती के सोर्स तथा मानदेय) परिशिष्ट–1 पर संलग्न हैं। उक्त योजना को संचालित किये जाने हेतु कुल 168 पदों को सोसाइटी के माध्यम से नियमानुसार एवं कार्यकारिणी समिति के कार्य, अधिकार एंव दायित्व के बिन्दु संख्या–9 के अनुसार भरा जायेगा।

5 उक्त योजना के मौलिक स्वरूप को यथावत रखा जायेगा, परन्तु यदि योजना के कियान्वयन में कोई कठिनाई होती है, तो इस हेतु परिवर्तन– परिवर्धन के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी अधिकृत होंगें।

6 यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–05/(M)/XXVII(3)/2020, दिनांक 27 अप्रैल, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

7 कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

संख्या– 212 (1)/XXVVIII-3-2020-04/2008. T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner